

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी.)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला बईजलास**  
श्री गोपीलाल चन्देल, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी डूंगला

प्रकरण संख्या 78/2016

दिनांक 26.04.2017

- 1-श्री लक्ष्मण पुत्र कालू गुर्जर निवासी जेतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
- 2-श्री नारायण पुत्र कालू गुर्जर निवासी जेतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
- 3-श्री भैरु लाल पुत्र कालू गुर्जर निवासी जेतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

-वादीगण

॥ बनाम ॥

- 1-श्री सुन्दर लाल पिता गमेरा जी लौहार निवासी जेतपुरा तहसील डूंगला हाल मु. जलोदा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।
- 2-राज. सरकार जरिये तहसीलदार सा. डूंगला राजस्थान।

- प्रतिवादीगण

**वाद पत्र- अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए**

वादीगण की और से वकील श्री नरेन्द्र कुमार मेहता और प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही। यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर वाद वादीगण हस्ब फर्द बंटवारा फाईनल डिक्री किया जाता है कि मौजा जेतपुरा की वादपत्र में वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	श्री लक्ष्मण, नारायण लाल, भैरु लाल पिता कालू गुर्जर सा0देह जेतपुरा तहसील डूंगला	1047/805/1	0.2593	0.90
	कुल किता	1	0.2593	0.90
2	श्री सुन्दर लाल पिता गमेरा लौहार सा0देह निवासी जेतपुरा हाल मु0 जलोदा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।	1047/805/2	0.0648	0.22
	कुल किता	1	0.0648	0.22

इस वाद के खर्च Nil. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सहित द्वारा को दी जावें। यह आज दिनांक 26/4/17 को मेरे हस्ताक्षर से और मोहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला  
डूंगला